

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

क्रमांक: राम/भू0अ0/ई-1/प.23/2015/ 9571 दिनांक: 8-9-17

-: आदेश :-

मण्डल की समसंख्यक विज्ञप्ति क्रमांक 5171-5276 दिनांक 24.04.2017 द्वारा जारी भू-अभिलेख निरीक्षकों की दिनांक 01.04.2014 की अंतिम वरिष्ठता सूची में लिपिकीय/कम्प्यूटर त्रुटि होने से निर्देशानुसार निम्नानुसार संशोधन एतद्वारा किया जाता है :-

- 1- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 175 पर अंकित कार्मिक प्रभुदयाल/ देवाराम में प्रार्थी के नाम की स्पेलिंग PRABHU DAYAL के स्थान पर PRABHU DAYAL KATARIA पढ़ी जावे एवं संवर्ग के कॉलम में एस.सी. पढ़ा जावे।
- 2- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 223 पर अंकित कार्मिक तेजपाल गोठवाल/चन्दीराम में प्रार्थी के पिता के नाम की स्पेलिंग CHANDIRAM के स्थान पर CHANDGIRAM पढ़ी जावे।
- 3- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 1215 पर अंकित कार्मिक छोटे लाल/भगरीराम के संवर्ग कॉलम में सामान्य के स्थान पर एस.सी. पढ़ा जावे।
- 4- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 1329 पर अंकित कार्मिक हीराराम/ आत्माराम के संवर्ग कॉलम में एस.सी. के स्थान पर एस.टी. पढ़ा जावे।
- 5- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 1342 से 1352, 1354, 1346 से 1366, 1369 से 1407 पर अंकित भू-अभिलेख निरीक्षकों की भू.अ.नि. के पद पर कार्यग्रहण दिनांक 08.07.2013 के स्थान पर 07.08.2013 पढ़ी जावे।
- 6- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 1355 पर अंकित कार्मिक भीम सिंह/ हरीसिंह रावत की जन्म दिनांक 03.03.1959 के स्थान पर 05.03.1959 पढ़ी जावे।
- 7- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 1473 पर अंकित कार्मिक रतन लाल रोहलन/ नंदराम रोहलन के पिता के नाम की स्पेलिंग NANDRAM ROHLAN के स्थान पर NANDARAM ROHLAN पढ़ी जावे।
- 8- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 1475 पर अंकित कार्मिक पतराम के पिता के नाम के स्थान पर सरनेम भाभू टंकित हो गया है। अतः सही नाम पतराम भाभू/ लिखमन राम पढ़ा जावे।
- 9- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 1485 पर अंकित कार्मिक दानाराम/ सुण्डाराम का गृह जिला हनुमानगढ़ के स्थान पर सीकर तथा संवर्ग कॉलम में सामान्य के स्थान पर एस.टी. पढ़ा जावे तथा सही नाम दानाराम मीणा/ सुण्डाराम मीणा पढ़ा जावे।
- 10- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 1573 पर अंकित कार्मिक रमेश चंद/ सुखलाल की जन्म दिनांक 01.12.1957 के स्थान पर 01.10.1957 पढ़ी जावे।
- 11- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 1639 पर अंकित कार्मिक फूलाराम/खीमाराम के संवर्ग कॉलम में सामान्य के स्थान पर एस.टी. पढ़ा जावे।
- 12- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 1820 पर अंकित कार्मिक बाबूलाल/नारायणलाल के संवर्ग कॉलम में सामान्य के स्थान पर एस.टी. पढ़ा जावे।
- 13- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 1823 पर अंकित कार्मिक छोटेलाल/ मथुरा प्रसाद के नाम की स्पेलिंग CHOTE LAL के स्थान पर CHHOTE LAL पढ़ी जावे।
- 14- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 2008 पर अंकित कार्मिक विनोद कुमार गुप्ता/मदन लाल की जन्म तिथि 03.06.1961 के स्थान पर 03.08.1968 पढ़ी जावे।
- 15- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 2117 पर अंकित कार्मिक मीठालाल/ गंगाधर के संवर्ग कॉलम में सामान्य के स्थान पर एस.टी. पढ़ा जावे।
- 16- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 2176 पर अंकित कार्मिक प्रभुदयाल नरेनिया/ किशनलाल में प्रार्थी के पिता के नाम की स्पेलिंग KISHAN LAL के स्थान पर KALYANMAL पढ़ी जावे।
- 17- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 2261 पर अंकित कार्मिक रामकिशन/छज्जू राम के संवर्ग कॉलम में सामान्य के स्थान पर एस.सी. पढ़ा जावे।
- 18- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 2274 पर अंकित कार्मिक रमेश चन्द्र/डालूराम की जन्म तिथि 10.08.1963 के स्थान पर 08.10.1963 पढ़ी जावे।
- 19- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 2363 पर अंकित कार्मिक भोपाल सिंह मीणा/ छीतर मल के पिता के नाम की स्पेलिंग CHITTAR MAL के स्थान पर CHITTAR LAL पढ़ी जावे।
- 20- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 2463 पर अंकित कार्मिक जीमल अहमद/दलवीर खॉ में प्रार्थी के पिता के नाम की स्पेलिंग DALVEER KHA के स्थान पर DALMEER KHA पढ़ी जावे।

- 21- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 2644 पर अंकित कार्मिक कैलाश चंद सैनी / सुखलाल के पिता के नाम की स्पेलिंग SUKHLAL के स्थान पर SUKHPAL SAINI पढ़ी जावें।
- 22- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 2699 पर अंकित कार्मिक रामलाल / धुला जी के संवर्ग कॉलम में सामान्य के स्थान पर एस.सी. पढ़ा जावें।
- 23- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 2734 पर अंकित कार्मिक मोहनलाल / वजा जी में प्रार्थी के पिता के नाम की स्पेलिंग VAJAJI के स्थान पर VAKTAJI पढ़ी जावें एवं संवर्ग के कॉलम में एस0सी0 पढ़ा जावें।
- 24- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 2739 एवं 2761 पर मदन सिंह यादव / महेन्द्र कुमार का नाम दो बार टंकित हो गया है, अतः क्रम संख्या 2739 की प्रविष्टि विलोपित की जाती है।
- 25- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 2753 पर अंकित कार्मिक शैतान सिंह मीणा / चन्दालाल में प्रार्थी के पिता के नाम की स्पेलिंग CHANDALAL के स्थान पर CHANDA RAM MEENA पढ़ी जावें एवं संवर्ग के कॉलम में सामान्य के स्थान पर एस.टी. पढ़ा जावें।
- 26- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 2825 पर अंकित कार्मिक रामभरोस मीणा / सांवलराम मीणा में प्रार्थी के नाम की स्पेलिंग RAMBHARSE के स्थान पर RAMBHAROS MEENA पढ़ी जावें एवं संवर्ग के कॉलम में सामान्य के स्थान पर एस.टी. पढ़ा जावें एवं प्रथम नियुक्ति तिथि 17.6.2003 के स्थान पर 08.05.2001 पढ़ी जावें।
- 27- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 2826 पर अंकित कार्मिक सीताराम / जालूराम खटीक के संवर्ग कॉलम में सामान्य के स्थान पर एस.सी. पढ़ा जावें।
- 28- वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 2877 पर अंकित कार्मिक संतोष नायक / चंदूराम की प्रविष्टि विलोपित की जाती है।

आदेशानुसार,

निबन्धक

राजस्व मण्डल राज., अजमेर

दिनांक: 8-9-17

क्रमांक: सम/ 95-72-9617

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2- संभागीय आयुक्त, समस्त।
- 3- जिला कलक्टर, समस्त।
- 4- उप-निबन्धक (रातस), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
- 5- प्रान्तीय अध्यक्ष, राजस्थान कानूनगों संघ, म.नं 1, एकता विहार, मालवीय नगर चौक, राजगढ़ रोड़, अलवर।
- 6- संबंधित सर्वश्री.....भू-अभिलेख निरीक्षक,.....जिला.....
- 7- आदेश पंजिका।

उप-निबन्धक (720370)

राजस्व मण्डल राज., अजमेर